



क्रमांक: 11643 / अका. / 2013

रायपुर, दिनांक: 19 / 08 / 2013

॥ संशोधित अधिसूचना ॥

इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक 11317 / अका. / 2013 दिनांक 23.07.2013 के अंतिम पैरा (iii) के अनुक्रम में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

एम.ए. सोशल वर्क एवं एम.एस.डब्ल्यू (मास्टर ऑफ सोशल वर्क) के पाठ्यक्रम समान हैं अतः पूर्व में जिन छात्र-छात्राओं द्वारा एम.ए. सोशल वर्क की उपाधि प्राप्त किया है, उनकी उपाधि एम.एस.डब्ल्यू (मास्टर ऑफ सोशल वर्क) के समतुल्य मान्य किया जाता है।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ. क्रमांक: 11644 / अका. / 2013

रायपुर, दिनांक: 19 / 08 / 2013

प्रतिलिपि :

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
02. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर।
04. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
05. अध्यक्ष, समाजशास्त्र अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
06. समस्त विभागीय अधिकारी, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
07. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् / अधिष्ठाता छात्र कल्याण,
08. अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचनार्थ Up-Load करें,
09. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)